पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–19] रुड़की, शनिवार, दिनांक 05 मई, 2018 ई0 (बैशाख 15, 1940 शक सम्वत्) [संख्या–18

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	223–229	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	377–392	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	01–05	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	113–115	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

पर्यटन अनुभाग

अधिसूचना

विविध

20 अप्रैल, 2018 ई0

संख्या 1154/VI(1)/2018–03(05)/2015–उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001 (अधिनियम संख्या 12, वर्ष 2001) की धारा 8 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, "दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम–स्टे) विकास योजना नियमावली, 2018" को एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अधिसूचना

विविध

20 अप्रैल, 2018 ई0

संख्या 857/VI(1)/2018–03(05)/2015–श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001 (अधिनियम संख्या 12, वर्ष 2001) की धारा 8 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्य में पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित करने एवं स्वरोजगारोन्मुखी योजना को क्रियान्वित करने के लिए दी जाने वाली राजकीय सहायता को नियंत्रित करने तथा इस सहायता के अन्तर्गत प्रारम्भ की जाने वाली परियोजनाओं को संचालित किए जाने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम–स्टे) विकास योजना नियमावली, 2018

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार :

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम–स्टे) विकास योजना नियमावली, 2018" है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) यह नियमावली नगर निगम क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण प्रदेश में लागू होगी।

2. परिभाषाएँ :

जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:–

(क) "गृह आवास (होम–स्टे)" से ऐसी आवासीय इकाई अभिप्रेत है, जो पूर्णतः आवासीय परिसर हो तथा जिसमें भवन स्वामी अथवा भवन के पट्टे पर होने की दशा में पट्टेदार स्वयं परिवार सहित निवास करता हो;

(ख) "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" से उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "भवन स्वामी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो तत्समय अपने स्वयं के अथवा पट्टे के भवन जो कि (होम–स्टे) हेतु प्रस्तावित है, में परिवार सहित निवास करता हो;

(घ) "राज्य" से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;

(ङ) "योजना" से दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम–स्टे) विकास योजना अभिप्रेत है;

(च) "समिति" से इस नियमावली के नियम 8 के अन्तर्गत गठित चयन/क्रियान्वयन/अनुश्रवण समिति अभिप्रेत है;

(छ) "आवेदक" से ऐसा भवन स्वामी अभिप्रेत है, जो अपने भवन के आवासीय कक्षों को पर्यटकों/अतिथियों के लिए उपलब्ध कराने का इच्छुक है एवं इस नियमावली के अन्तर्गत भवन के पंजीकरण हेतु परिषद् में आवेदन करता है।

(ज) "पंजीकरण" से उत्तराखण्ड गृह आवास (होम–स्टे) नियमावली, 2015 के अन्तर्गत पंजीकरण किया जाना अभिप्रेत है।

3. गृह आवास (होम–स्टे) हेतु आवश्यक शर्तें :

किसी भवन को गृह आवास (होम–स्टे) के रूप में प्रयुक्त किए जाने के लिए यह आवश्यक है कि–

(एक) भवन पूर्णतः आवासीय परिसर हो;

(दो) भवन स्वामी अपने परिवार सहित भवन में निवास करता हो;

(तीन) अतिथियों के खान–पान की व्यवस्था भवन स्वामी द्वारा की जाय;

(चार) गृह आवास (होम–स्टे) में अतिथियों के लिए न्यूनतम 1 तथा अधिकतम 6 कक्षों की व्यवस्था की गई हो;

(पाँच) गृह आवास (होम–स्टे) का पंजीकरण किया गया हो।

4. रियायतें/छूट (Exemptions) :

(1) गृह आवास (होम–स्टे) से प्राप्त आय पर गृह आवास के रूप में पंजीकरण के पश्चात् प्रथम तीन वर्षों तक राज्य वस्तु एवं सेवा कर की धनराशि की विभाग द्वारा अदायगी/प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(2) विद्युत/जल/भवन कर आदि जैसे शुल्क/कर को सम्बन्धित विभागों द्वारा अव्यवसायिक दरों पर वसूल किया जा सकेगा।

(3) गृह आवास (होम–स्टे) स्थापित किए जाने हेतु भू–उपयोग परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

5. राजकीय सहायता दिये जाने हेतु पात्रता एवं प्रोत्साहन व लाभ :

गृह आवास (होम–स्टे) स्थापित किए जाने हेतु राजकीय सहायता (अनुदान) भी दी जायेगी, जिसके लिए निम्न प्रकार से नियम/शर्तों का निर्धारण किया जायेगाः–

(1) निधि का सृजनः–पर्यटन विभाग के आय–व्ययक में प्रत्येक वर्ष इस योजना हेतु एकमुश्त धनराशि का प्राविधान किया जायेगा, जिसका उपयोग चयन समिति द्वारा राज्य में होम–स्टे विकसित करने के लिए अनुमोदित किया गया हो। राजकीय सहायता की धनराशि निदेशक पर्यटन/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्, देहरादून की अधिकारिता में रखी जायेगी।

(2) पात्रताः–इस योजना के अधीन राजकीय सहायता (अनुदान) निम्नलिखित पात्रता रखने वाले व्यक्ति को स्वीकृत की जायेगीः–

(क) किसी ऐसे व्यक्ति को जो, उत्तराखण्ड का मूल/स्थाई निवासी है;

(ख) भवन स्वामी स्वयं परिवार सहित प्रस्तावित होम–स्टे में निवास करता हो;

(ग) ऐसा व्यक्ति गृह आवास (होम–स्टे) के निर्माण हेतु अपेक्षित भूमि का स्वामी हो;

(घ) व्यक्ति किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर न हो;

(ङ) रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से समय–समय पर शासन द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति, अन्य पिछड़ी जातियों, भूतपूर्व सैनिकों, दिव्यांगों आदि को दिए जाने वाले आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा;

(च) राजकीय प्रोत्साहन राशि एवं लाभ प्राप्त करने हेतु नये गृह आवास (होम–स्टे) विकसित करने के अतिरिक्त पुराने भवनों की आन्तरिक साज–सज्जा, उनका विस्तार/नवीनीकरण/सुधार एवं शौचालयों के नवनिर्माण या उच्चीकरण आदि के लिए भी योजना का लाभ अनुमन्य होगा। पारम्परिक/पहाड़ी शैली में निर्मित/विकसित भवनों को प्राथमिकता दी जायेगी।

6. राजकीय सहायता की धनराशि :

राजकीय सहायता की धनराशि मूल सब्सिडी (capital subsidy) एवं ब्याज पर सब्सिडी (interest subsidy) का संयोजन होंगी। इसमें पूँजी संकर्म की लागत के 25 प्रतिशत या ₹ 7.50 लाख, इसमें जो भी कम हो, मूल सब्सिडी के रूप में एवं प्रथम पाँच वर्षों में ऋण के सापेक्ष देय ब्याज का 50 प्रतिशत अधिकतम ₹ 1.00 लाख प्रतिवर्ष की दर से देय होगी परन्तु पर्वतीय क्षेत्र के लाभार्थियों हेतु पूँजी संकर्म की लागत के 33 प्रतिशत या ₹ 10.00 लाख, इसमें जो भी कम हो, मूल सब्सिडी के रूप में एवं प्रथम पाँच वर्षों में ऋण के सापेक्ष देय ब्याज का 50 प्रतिशत अधिकतम ₹ 1.50 लाख प्रतिवर्ष की दर से देय होगी। पर्वतीय क्षेत्रों के निर्धारण हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रख्यापित "सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति, 2015" के अन्तर्गत श्रेणी–ए, बी, बी+एवं सी को इस योजना हेतु पर्वतीय क्षेत्र एवं श्रेणी–डी को मैदानी क्षेत्र माना जायेगा।

7. राजकीय सहायता दी जाने की अन्य शर्तें :

(1) राजकीय सहायता की मूल सब्सिडी का भुगतान उपरोक्तानुसार गठित समिति द्वारा एक मुश्त राशि के रूप में तथा ब्याज सब्सिडी का भुगतान वार्षिक आधार पर योजना पूर्ण होने पर सम्बन्धित बैंक शाखा, जहाँ से आवेदक द्वारा ऋण लिया गया है, को यथासम्भव एक माह के भीतर सम्बन्धित जिला पर्यटन विकास अधिकारी एवं सम्बन्धित शाखा बैंक प्रबन्धक अथवा उनका प्रतिनिधि, जिनके द्वारा आवेदक को ऋण निर्गत किया गया है, के संयुक्त निरीक्षण एवं परियोजना पूर्ण होने की पुष्टि के उपरान्त किया जायेगा।

(2) पूँजी संकर्म के अन्तर्गत केवल अनावर्तक प्रकार के व्यय की मदें होगी। राजकीय सहायता की प्राप्ति के 10 वर्ष के भीतर, इस प्रकार सृजित आस्तियों का न तो निस्तारण किया जायेगा और न ही उसका उपयोग उस प्रयोजन से, जिसके लिए राजकीय सहायता दी गई है से, भिन्न किसी योजना के लिए किया जायेगा। इस प्रकार निर्मित भवन या भवन की वर्तमान संरचना में किए गए विस्तार, जिस पर राजकीय सहायता प्रदान की गई है, के सम्बन्ध में निजी उद्यमकर्ता, गठित समिति द्वारा नियत किराए पर पर्यटकों को ऐसे भवनों में, सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा।

(3) सम्बन्धित बैंक की शाखा द्वारा बैंक की प्रतिभूति आदि के सम्बन्ध में पूँजी निवेश सम्बन्धी बैंक द्वारा ली जाने वाली मार्जिन मनी, 12.5 प्रतिशत ली जायेगी। इसके अतिरिक्त समिति बैंक की शाखा की प्रतिभूति आदि के सम्बन्ध में सामान्य उपबन्धों के अधीन की गई सिफारिश पर ऋण देने के लिए कदम उठायेगी। बैंक की विनिश्चय की सूचना सामान्यतः आवेदक को सिफारिश किए गए आवेदन–पत्र की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर दे दी जायेगी और उसकी सूचना क्षेत्रीय/जिला पर्यटक अधिकारी को भी भेज दी जायेगी।

(4) इस योजना के क्रियान्वयन का मामला जिलाधिकारी और बैंकों के बीच मासिक बैठक में कार्य सूची/परिचर्चा का एक मद होगा, जिसमें विलम्ब के कारणों के साथ–साथ विचाराधीन मामलों पर और उनकी समस्याओं के निराकरण करने के लिए विचार किया जायेगा। इस सम्बन्ध में त्रैमासिक विवरणी जिले के प्रमुख (लीड) बैंक अधिकारी द्वारा सम्बद्ध जिलाधिकारी और क्षेत्रीय/जिला पर्यटक अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

8. चयन समिति की संरचना :

उद्यमियों के चयन एवं योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु प्रत्येक जिले में एक चयन/क्रियान्वयन/अनुश्रवण समिति का गठन किया जायेगा, जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर गठित होगीः–

(एक)	जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष,
(दो)	मुख्य विकास अधिकारी	–	सदस्य,
(तीन)	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र	–	सदस्य,
(चार)	जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक	–	सदस्य,
(पाँच)	नाबार्ड का प्रतिनिधि	–	सदस्य,
(छः)	जिला पर्यटन विकास अधिकारी	–	सदस्य सचिव।

यह समिति, जिले में आवेदकों के चयन, लाभार्थियों को नियमित वित्त पोषण, योजना की भौतिक प्रगति का क्रियान्वयन व अनुश्रवण एवं लाभार्थियों को वांछित विभिन्न सरकारी स्वीकृतियों आदि के विषय में कार्यवाही करेगी। उपरोक्त गठित समिति के कृत्यों का पूर्ण दायित्व जिलाधिकारी का होगा। यह समिति योजनाओं की भौतिक/वित्तीय प्रगति के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् मुख्यालय को अवगत करायेगी। जिन प्रकरणों पर समिति निर्णय लेने में असमर्थ रहती है, उन्हें उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्/शासन को सन्दर्भित करेगी। जिलाधिकारी द्वारा इस समिति में अन्य विभागों के अधिकारियों अथवा आवेदकों एवं विशेषज्ञों को भी आवश्यकतानुसार आमंत्रित किया जा सकता है। क्षेत्रविशेष की परिस्थितियों तथा आवेदनकर्ताओं की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए वन विभाग, नक्शा पास करने वाले प्राधिकारी, नगरपालिका आदि के प्रतिनिधियों को भी बैठक हेतु विशेष आमंत्री के रूप में जिलाधिकारी द्वारा आमन्त्रित किया जा सकता है।

9. चयन प्रक्रिया :

लाभार्थियों का चयन व्यापक प्रचार–प्रसार के उपरान्त, पर्यटन विभाग द्वारा निर्धारित प्ररूप पर आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् होगा। जाँचोपरान्त उपयुक्त पाये गये आवेदकों के आवेदन–पत्रों के आधार पर, चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। आवेदन–पत्र पर्यटन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों से या विभागीय वेब–साइट से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकेगा, जिसे भरने के पश्चात् भवन स्वामी सम्बन्धित जिले के क्षेत्रीय/जिला पर्यटन कार्यालय में जमा करेगा।

10. समिति के कृत्य :

(1) चयन समिति, प्रत्येक योजना का परीक्षण करेगी और साधारण बहुमत से राजकीय सहायता को स्वीकृत करेगी एवं उसकी सूचना सम्बद्ध बैंकों को देगी। पर्यटन समिति के सदस्य/सचिव द्वारा विनिश्चय की सूचना सम्बन्धित उद्यमी को दी जायेगी।

(2) समिति के अध्यक्ष द्वारा समय–समय पर, योजना की सार्थकता एवं उपादेयता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से छःमाही आधार पर प्रत्येक लाभार्थी/उद्यमी की परियोजना का भौतिक सत्यापन, जिसमें वाणिज्यिक सफलता का मूल्यांकन भी सम्मिलित है, किया जायेगा तथा दुरूपयोग/दुर्विनियोग की दशा में विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

11. योजना के कार्यान्वयन हेतु नोडल विभाग :

इस नियमावली के अधीन बनायी गई प्रत्येक योजना पर्यटन विभाग उत्तराखण्ड द्वारा संचालित की जायेगी तथा मुख्यकार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्, देहरादून द्वारा योजना हेतु विभिन्न वाणिज्यक संस्थाओं, मण्डलीय नियमों, प्रशिक्षणदात्री संस्थाओं के मध्य नोडल एजेन्सी के रूप में आवश्यक समन्वय किया जायेगा, साथ ही योजना की गुणवत्ता, उपादेयता, परिचालन, परिपुष्टता एवं आवश्यक अनुश्रवणात्मक व्यवस्थायें भी सुनिश्चित की जायेगी। उद्यमी की योजना हेतु अन्य किसी विभाग यथा वन, पर्यावरण, ऊर्जा आदि से किसी प्रकार के अनापत्ति प्रमाण–पत्र की आवश्यकता होने पर उसको उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान किया जायेगा।

12. गृह आवास (होम–स्टे) का समूह (Cluster) के रूप में विकास :

(1) किसी भी गाँव में 6 या उससे अधिक गृह आवास (होम–स्टे) स्थापित किए जाने पर उन्हें समूह (Cluster) माना जायेगा। ऐसे समूह (Cluster) के चयन की कार्यवाही जिलाधिकारी के माध्यम से की जायेगी। सर्वप्रथम जिले के प्रमुख पर्यटक स्थलों के आस–पास ही समूह (Cluster) चिन्हित किए जाने का प्रयास किया जायेगा।

(2) समूह (Cluster) में जो गृह आवास (होम–स्टे) विकसित होंगे उन ग्रामों में गृह आवास (होम–स्टे) पर्यटन हेतु आवश्यक अवस्थापना सुविधा कार्य भी कराये जायेंगे।

13. फैसेलिटेशन एवं मार्केटिंग :

(1) विभाग द्वारा पंजीकृत गृह आवास (होम–स्टे) के लिए पृथक से पोर्टल/वेब–साइट तथा एप विकसित किया जायेगा, जिसमें गृह आवास (होम–स्टे) से सम्बन्धित समस्त जानकारियाँ विद्यमान होंगी।

(2) ऑन–लाइन एवं ऑफलाइन व्यवसायिक मार्केटिंग की सुविधा भी निःशुल्क गृह आवास (होम–स्टे) मालिकों को प्रदान की जायेगी।

(3) गृह आवास (होम–स्टे) के फेडरेशन बनवाकर उनके प्रतिनिधियों द्वारा होम–स्टे के प्रचार–प्रसार हेतु उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् द्वारा जिन राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय ट्रैवल मार्टस् में प्रतिभाग किया जाता है, में निःशुल्क प्रतिभाग किए जाने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

(4) पर्यटकों की सुविधा हेतु गृह आवास (होम–स्टे) के सम्बन्ध में की रेटिंग की व्यवस्था होगी, जिससे किसी गृह आवास (होम–स्टे) के विषय में पर्यटकों को उसके स्तर की जानकारी के साथ–साथ गृह आवास (होम–स्टे) मालिकों के मध्य भी प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होगी।

(5) गृह आवास (होम–स्टे) संचालकों को समय–समय पर आतिथ्य सत्कार गतिविधियों के संचालनार्थ प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था होगी। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अन्य विभागों के स्तर से प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण के साथ विकसित की जायेगी।

14. ऋण का भुगतान :

प्रमुख बैंक/वित्तीय संस्था, राजकीय सहायता का अनुमोदन किए जाने सम्बन्धी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् का आदेश प्राप्त होने पर, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार ऋण देंगे जैसा बैंक द्वारा निर्धारित किया जायें।

15. बैंक ऋण की अदायगी :

(1) उद्यमी को दिए गए ऋण की अदायगी/अधिस्थगन अवधि या प्रारम्भिक अवधि का निर्धारण सम्बन्धित बैंक द्वारा किया जायेगा।

(2) ऋण के दुरूपयोग अथवा वापसी की अवधि की आधी अवधि से पूर्व ऋण की वापसी पर ब्याज उपादान अनुमन्य नहीं होगा तथा इसकी वसूली भू–राजस्व के बकाये की भाँति की जा सकेगी, इसके अतिरिक्त ऋण वसूली के लिए "उत्तर प्रदेश पब्लिक मनी (रिकवरी ऑफ ड्यूज) एक्ट, 1965" (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

16. लेखा परीक्षा :

इस नियमावली के प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु शासन से प्राप्त होने वाली धनराशि निदेशक, पर्यटन/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् के स्तर से संबंधित जिलाधिकारियों को उपलब्ध करायी जायेगी। नियमावली के अन्तर्गत किसी योजना की लेखा परीक्षा महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा की जायेगी। राजकीय सहायता के भुगतान की स्वीकृति के समस्त आदेशों की एक प्रति महालेखाकर, उत्तराखण्ड, देहरादून, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग, पर्यटन अनुभाग और वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग को पृष्ठांकित की जायेगी।

17. प्रकीर्ण :

(1) पर्यटन निदेशालय व उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् के समस्त अधिकारी/कर्मचारी, जैसा कि अपेक्षित हो, सहयोग प्रदान करेंगे और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् इस नियमावली के अन्तर्गत किसी योजना के निष्पादन/क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) इस नियमावली के अन्तर्गत किसी योजना के क्रियान्वयन में यदि कोई स्पष्टीकरण या सूचना अपेक्षित हो तो पर्यटन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, का विनिश्चय अन्तिम और सर्वमान्य होगा।

आज्ञा से,

दिलीप जावलकर,

सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 18 हिन्दी गजट/249–भाग 1–2018 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 05 मई, 2018 ई0 (बैशाख 15, 1940 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

April 09, 2018

No. 76/UHC/XIV-a/40/Admin.A/2011--Sri Pankaj Tomar, 1st Additional District & Sessions Judge, Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 11 days *w.e.f.* 17.03.2018 to 27.03.2018.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

April 11, 2018

No. 77/UHC/Admin.A/2018--Sri Rajeev Kumar Khulbey, Registrar, High Court of Uttarakhand, Nainital is transferred and posted as 1st Additional District & Sessions Judge, Dehradun, in the vacant Court.

NOTIFICATION

April 11, 2018

No. 78/UHC/Admin.A/2018--Smt. Sujata Singh, Registrar (Judicial), High Court of Uttarakhand, Nainital is transferred and posted as 2nd Additional District & Sessions Judge, Dehradun, *vice* Sri Gurubaksh Singh.

NOTIFICATION

April 11, 2018

No. 79/UHC/Admin.A/2018--Sri Gurubaksh Singh, 2nd Additional District & Sessions Judge, Dehradun is posted as 3rd Additional District & Sessions Judge, Dehradun, *vice* Sri Ajay Chaudhary.

NOTIFICATION

April 11, 2018

No. 80/UHC/Admin.A/2018--Sri Ajay Chaudhary, 3rd Additional District & Sessions Judge, Dehradun is transferred and posted as Registrar, High Court of Uttarakhand, Nainital.

NOTIFICATION

April 11, 2018

No. 81/UHC/Admin.A/2018--Sri Subir Kumar, Additional Director, Uttarakhand Judicial & Legal Academy, Bhowali, District Nainital is transferred and posted as 4th Additional District & Sessions Judge, Dehradun, in the vacant Court.

NOTIFICATION

April 11, 2018

No. 82/UHC/Admin.A/2018--Sri Rahul Garg, Additional District & Sessions Judge, Laksar, District Hardwar is transferred and posted as Additional District & Sessions Judge, Almora, *vice* Sri Ambika Pant.

NOTIFICATION

April 11, 2018

No. 83/UHC/Admin.A/2018--Sri Manish Mishra, Judge, Family Court, Pauri Garhwal is repatriated and posted as 1st Additional District & Sessions Judge, Rishikesh, District Dehradun, *vice* Sri S.M.D. Danish.

NOTIFICATION

April 11, 2018

No. 84/UHC/Admin.A/2018--Sri Bharat Bhushan Pandey, Chairman, Permanent Lok Adalat, Udham Singh Nagar is repatriated and posted as Additional District & Sessions Judge, Rudraprayag, in the vacant Court.

NOTIFICATION

April 11, 2018

No. 85/UHC/Admin.A/2018--Sri Arvind Kumar, 1st Additional District & Sessions Judge, Nainital is transferred and posted as 1st Additional District & Sessions Judge, Haldwani, District Nainital, *vice* Sri Nitin Sharma.

NOTIFICATION

April 11, 2018

No. 86/UHC/Admin.A/2018--Sri Vinod Kumar, 5th Additional District & Sessions Judge, Dehradun is transferred and posted as 1st Additional District & Sessions Judge, Nainital, vice Sri Arvind Kumar.

NOTIFICATION

April 11, 2018

No. 87/UHC/Admin.A/2018--Smt. Pritu Sharma, F.T.C./Addl. District Judge/Special Judge, POCSO, Haldwani, District Nainital is transferred and posted as 1st Additional District & Sessions Judge, Kashipur, District Udham Singh Nagar, *vice* Sri Naseem Ahmad.

NOTIFICATION

April 11, 2018

No. 88/UHC/Admin.A/2018--Sri Mohd. Sultan, Additional District & Sessions Judge, Vikas Nagar, District Dehradun is transferred and posted as 2nd Additional District & Sessions Judge, Haldwani, District Nainital, in the vacant Court.

NOTIFICATION

April 11, 2018

No. 89/UHC/Admin.A/2018--Smt. Shadab Bano, 7th Additional District & Sessions Judge, Dehradun is transferred and posted as Registrar, High Court of Uttarakhand, Nainital.

NOTIFICATION

April 11, 2018

No. 90/UHC/Admin.A/2018--Sri Naseem Ahmad, 1st Additional District & Sessions Judge, Kashipur, District Udham Singh Nagar is transferred and posted as Additional District & Sessions Judge, Vikas Nagar, District Dehradun, *vice* Sri Mohd. Sultan.

NOTIFICATION

April 11, 2018

No. 91/UHC/Admin.A/2018--Sri Om Kumar, Chairman, Permanent Lok Adalat, Nainital is repatriated and posted as 2nd Additional District & Sessions Judge, Kashipur, District Udham Singh Nagar, *vice* Sri Chandramani Rai.

NOTIFICATION

April 11, 2018

No. 92/UHC/Admin.A/2018--Sri Sanjeev Kumar, 2nd Additional District & Sessions Judge, Roorkee, District Hardwar is transferred and posted as 1st Additional District & Sessions Judge, Udham Singh Nagar, *vice* Sri Pankaj Tomar.

NOTIFICATION

April 11, 2018

No. 93/UHC/Admin.A/2018--Sri Ambika Pant, Additional District & Sessions Judge, Almora is transferred and posted as Additional District & Sessions Judge, Laksar, District Hardwar, *vice* Sri Rahul Garg.

NOTIFICATION

April 11, 2018

No. 94/UHC/Admin.A/2018--Ms. Vijay Lakshmi Vihan, 2nd Additional District & Sessions Judge, Udham Singh Nagar is posted as F.T.C./Addl. District Judge/Special Judge, POCSO, Udham Singh Nagar, *vice* Sri Brijendra Singh.

NOTIFICATION

April 11, 2018

No. 95/UHC/Admin.A/2018--Sri Chandramani Rai, 2nd Additional District & Sessions Judge, Kashipur, District Udham Singh Nagar is transferred and posted as 2nd Additional District & Sessions Judge, Udham Singh Nagar, *vice* Ms. Vijay Lakshmi Vihan.

NOTIFICATION

April 11, 2018

No. 96/UHC/Admin.A/2018--Smt. Parul Gairola, Registrar, Public Service Tribunal, Uttarakhand, Dehradun is repatriated and posted as 2nd Additional District & Sessions Judge, Nainital, *vice* Sri Manish Kumar Pandey.

NOTIFICATION

April 11, 2018

No. 97/UHC/Admin.A/2018--Sri Ashutosh Kumar Mishra, 3rd Additional District & Sessions Judge, Hardwar is transferred and posted as Additional Director, Uttarakhand Judicial & Legal Academy, Bhowali, District Nainital, *vice* Sri Subir Kumar.

NOTIFICATION

April 11, 2018

No. 98/UHC/Admin.A/2018--Sri Manish Kumar Pandey, 2nd Additional District & Sessions Judge, Nainital is transferred and posted as F.T.C./Addl. District Judge/Special Judge, POCSO, Haldwani, District Nainital, *vice* Smt. Pritu Sharma.

NOTIFICATION

April 11, 2018

No. 99/UHC/Admin.A/2018--Sri Shivakant Dwivedi, 5th Additional District & Sessions Judge, Hardwar is transferred and posted as 2nd Additional District & Sessions Judge, Rishikesh, District Dehradun, in the vacant Court.

NOTIFICATION

April 11, 2018

No. 100/UHC/Admin.A/2018--Sri Vivek Dwivedi, 8th Additional District & Sessions Judge, Dehradun is transferred and posted as 3rd Additional District & Sessions Judge, Udham Singh Nagar, *vice* Sri Sayan Singh.

This order will come into force *w.e.f.* 16.04.2018.

Note 1--The officers transferred prematurely on their request will not be allowed transfer travelling allowance.

Note 2--Recommendations have been sent to the State Legal Services Authority, Uttarakhand, Nainital for the posting of following officers as Chairman, Permanent Lok Adalats :--

(i) Sri Pankaj Tomar (*1st Additional District Judge, U.S. Nagar*)--As Chairman, Permanent Lok Adalat, Udham Singh Nagar.

(ii) Sri Brijendra Singh (*F.T.C./Addl. District Judge/Special Judge, POCSO. U.S. Nagar*)--As Chairman, Permanent Lok Adalat, Nainital.

Note 3--Recommendations have been sent to the State Government for the posting of following officers on deputation posts mentioned against their names :--

1. Sri Nitin Sharma (*1st Additional District Judge, Haldwani, District Nainital*)--As Presiding Officer, Labour Court, Kashipur, District Udham Singh Nagar, in the vacant post.
2. Sri Kaushal Kishore Shukla (*Judge, Family Court, U.S. Nagar*)--As Judge, Family Court, Pauri Garhwal, vice Sri Manish Mishra.
3. Sri S.M.D. Danish (*1st Addl. District Judge, Rishikesh, Distt. Dehradun*)--As Presiding Officer, Food Safety Appellate Tribunal, Haldwani, District Nainital, along with, additional Charge of Presiding Officer, Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Haldwani, in the vacat post.
4. Sri Sayan Singh (*3rd Addl. District Judge, U.S. Nagar*)--As Additional Secretary (Law)-cum-Additional LR., Government of Uttarakhand, Dehradun, vice Sri Mahesh Chandra Kaushiwa.
5. Sri Mahesh Chandra Kaushiwa [Addl. Secretary (Law)-cum-Addl. L.R., Government of Uttarakhand, Dehradun]--As Judge, Family Court, Udham Singh Nagar, vice Sri Kaushal Kishore Shukla.

Above transfers will come into effect after the receipt of respective notifications from the State Legal Services Authority & State Government.

By Order of the Court,
Sd/-
NARENDRA DUTT,
Registrar General.

कार्यालय राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड

(विधि–अनुभाग)

02 अप्रैल, 2018 ई0

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0), राज्य कर,
देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रुद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक 01/रा0कर आयु0 उत्तरा0/रा0क0मु0/विधि–अनुभाग/17–18/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग–8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्याएँ 287/2018/4(120)/XXVII(8)/2018/CT–10; 288/2018/4(120)/XXVII(8)/2018/CT–14 तथा 289/2018/4(120)/XXVII(8)/2018/CT–15 समदिनांकित 28 मार्च, 2018 एवं आयुक्त राज्य कर द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 6376/रा0क0आ0उ0/जी0एस0टी0–विधि/2017–18 एवं आदेश सं0 6377/सी0एस0टी0यू0के0/जी0एस0टी0–विधि/2017–18, समदिनांकित 28 मार्च, 2018 का संदर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा क्रमशः अधिसूचना संख्या 979, दिनांक 23 नवम्बर, 2017 में संशोधन करने; उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (तीसरा संशोधन), नियम, 2018 एवं अधिसूचना संख्या 282, दिनांक 24 मार्च, 2018 के क्रम संख्या 3, क्रम संख्या 4, क्रम संख्या 5, क्रम संख्या 6, क्रम संख्या 7 एवं क्रम संख्या 8 पर उल्लिखित उपबंध प्रवृत्त होना अधिसूचित किए जाने एवं राज्य में माल के अन्तःराज्यीय परिवहन के लिए ई–वे बिल सृजित करना अपेक्षित नहीं होना तथा उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 117 (4) (ख) (iii) के अधीन प्ररूप जीएसटी ट्रान–2 में घोषणा दाखिल करने की तिथि बढ़ाया जाना अधिसूचित किया गया है।

उपरोक्त अधिसूचनाओं एवं आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचनाओं एवं आदेश की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

28 मार्च, 2018 ई0

संख्या 287/2018/4(120)/XXVII(8)/2018/CTR–10–चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 11 की उपधारा (1) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 01, वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिश पर, उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 की अधिसूचना संख्या 979/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, दिनांक 23 नवम्बर, 2017 द्वारा यथासंशोधित अधिसूचना संख्या 522/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, दिनांक 29 जून, 2017 में निम्नलिखित अग्रेत्तर संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं; अर्थात्–

उक्त अधिसूचना में, "31 मार्च, 2018" अंकों और शब्द के स्थान पर "30 जून, 2018" अंक और शब्द रखा जायेगा।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 287/2018/4(120)/XXVII(8)/2018/CTR-10**, Dated March 28, 2018 for general information.

NOTIFICATION

March 28, 2018

No. 287/2018/4(120)/XXVII(8)/2018/CTR-10--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clause Act, 1904 (Act no. 01 of 1904) (as applicable in the State of Uttarakhand), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to make the following further amendment in the notification of the Government of Uttarakhand, Finance Section-8 No. 522/2017/9(120)/XXVII(8)2017, dated June 29, 2017 amended vide notification No. 979/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, dated November 23, 2017, namely:--

In the said notification, for the figures, letters and words "31st day of March, 2018", the figures, letters and words "30th day of June, 2018" shall be substituted.

अधिसूचना

28 मार्च, 2018 ई0

संख्या 288/2018/4(120)/XXVII(8)/2018/CT–14–श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 164 सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 01, वर्ष 1904ज) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सहर्ष, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 को अग्रेत्तर संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2018

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) इन नियमों में, जैसा अन्यथा विहित है, उसके सिवाय, ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

नियम 45 में संशोधन

2. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे यहाँ आगे मूल नियम कहा गया है), के नियम 45 के उपनियम (1) में, अन्त में आने वाले "जहाँ ऐसा माल किसी छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को सीधे भेजा जाता है" शब्दों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

और जहाँ माल एक छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार से किसी दूसरे छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजा जाता है, वहाँ चालान, प्रधान या माल को किसी अन्य छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजने वाले छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा जारी किया जा सकेगा;

परन्तु यह कि प्रधान द्वारा जारी चालान को, उस दशा में, जहाँ माल एक छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा दूसरे छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजा जाता है या प्रधान को वापस भेजा जाता है, उसमें माल की मात्रा और विवरण उपदर्शित करते हुए, पृष्ठांकित किया जाएगा;

परन्तु यह और कि छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा पृष्ठांकित चालान को, जहाँ माल एक छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा दूसरे छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजा जाता है या प्रधान को वापस भेजा जाता है, उसमें माल की मात्रा और विवरण उपदर्शित करते हुए, पृष्ठांकित किया जाएगा।

नियम 92 में संशोधन

3. "मूल नियम" के नियम 92 में, दिनांक 01 जुलाई, 2017 से, केवल हिन्दी पाठ में, उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम (2) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

(2) जहाँ उचित अधिकारी या आयुक्त की यह राय हो कि प्रतिदाय की धनराशि यथास्थिति धारा 54 की उपधारा (10) या उपधारा (11) के उपबन्धों के अधीन प्रतिधारित किए जाने योग्य है, वहाँ उसे प्ररूप जीएसटी आरएफडी–07 के भाग ख में ऐसे प्रतिदाय को प्रतिधारित किए जाने के कारणों को सूचित करते हुए आदेश पारित करेगा।

नियम 127 में संशोधन

4. "मूल नियम" के नियम 127 के खण्ड (चार) में केवल अंग्रेजी पाठ में शब्दावली "To furnish a performance report to the Council by the tenth", के पश्चात् शब्द "day" अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा।

नियम 129 में संशोधन

5. "मूल नियम" के नियम 129 के उपनियम (6) में, "स्थायी समिति से यथाअनुज्ञात लिखित में दिए गए कारणों द्वारा अन्वेषण पूर्ण करेगा" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे लिखित में दिए गए कारणों से, जो प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञात किए जाएँ, अन्वेषण पूर्ण करेगा" शब्द रखे जाएंगे।

नियम 133 में संशोधन

6. "मूल नियम" के नियम 133 के उपनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात

(4) यदि नियम 129 के उपनियम (6) में निर्दिष्ट रक्षोपाय महानिदेशक की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि धारा 171 के उपबन्धों का या इन नियमों का उल्लंघन हुआ है या उल्लंघन न होने की दशा में भी यदि प्राधिकरण की यह राय है कि मामले में और अन्वेषण किया जाना चाहिए या जाँच की जानी चाहिए, तो वह मामले को, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, रक्षोपाय महानिदेशक को अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार और अन्वेषण या जाँच करवाने के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा।

नियम 134 में संशोधन

7. स्तम्भ–1 में दिए गए "मूल नियम" के वर्तमान नियम 134 के स्थान पर, स्तम्भ–2 में दिया गया निम्नलिखित नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्:–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
134. बहुमत द्वारा विनिश्चय–यदि प्राधिकरण के सदस्यों की राय किसी बिन्दु पर भिन्न है, बिन्दु बहुमत की राय अनुसार विनिश्चित होगा।	134. विनिश्चय का बहुमत द्वारा किया जाना– (1) प्राधिकरण की बैठकों में गणपूर्ति उसके न्यूनतम तीन सदस्यों से होगी। (2) यदि किसी बिन्दु पर प्राधिकरण के सदस्यों की राय भिन्न–भिन्न है तो उस बिन्दु का विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत के अनुसार किया जाएगा और मत बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष का दूसरा या निर्णायक मत होगा।

नियम 137 में संशोधन

8. "मूल नियम" के नियम 137 के पश्चात्, स्पष्टीकरण के खण्ड (ग) में, उपखण्ड ख के पश्चात्, निम्नलिखित उपखण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

ग. नियम 128 के उपनियम (1) के अधीन ऐसा अभिकथन करने वाला कोई अन्य व्यक्ति की किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने माल या सेवाओं के प्रदाय पर कर की दर में कमी का फायदा या प्राप्त इनपुट प्रत्यय कर का फायदा कीमत में अनुरूप कटौती द्वारा प्राप्तिकर्ता को नहीं दिया है।

नियम 138घ में संशोधन

9. "मूल नियम" के नियम 138घ के पश्चात्, 01 अप्रैल, 2018 से निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

स्पष्टीकरण–इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, 'रेल द्वारा परिवहन किया गया', 'माल का रेल द्वारा परिवहन किया जाना', 'माल का रेल द्वारा परिवहन' और 'रेल द्वारा माल का संचलन' पद में ऐसे मामले सम्मिलित नहीं हैं, जहाँ रेल द्वारा पार्सल स्थान का पट्टाकरण दिया जाता है।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 288/2018/4(120)/XXVII(8)/2018/CT-14**, Dated March 28, 2018 for general information.

NOTIFICATION

March 28, 2018

No. 288/2018/4(120)/XXVII(8)/2018/CT-14--In exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) read with section 21 of Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (Act no. 01 of 1904) (as applicable in the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to make the following rules to further amend the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:--

The Uttarakhand Goods and Services Tax (Third Amendment) Rules, 2018

Short title and Commencement

1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Goods and Services Tax (Third Amendment) Rules, 2018.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Amendment in Rule 45

2. In rule 45 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the principal rules), in sub-rule (1) after the words, "where such goods are sent directly to a job worker", occurring at the end, the following shall be inserted, namely:--

"and where the goods are sent from one job worker to another job worker, the challan may be issued either by the principal or the job worker sending the goods to another job worker;

Provided that the challan issued by the principal may be endorsed by the job worker, indicating therein the quantity and description of goods where the goods are sent by one job worker to another or are returned to the principal;

Provided that the challan endorsed by the job worker may be further endorsed by another job worker, indicating therein the quantity and description of goods where the goods are sent by one job worker to another or are returned to the principal.";

Amendment in Rule 92

3. In rule 92 of the "Principal Rules", form 1st July, 2017, only in Hindi version, after sub-rule (1) the following sub-rule (2) shall be inserted; namely--

(2) Where the proper officer or the Commissioner is of the opinion that the amount of refund is liable to be withheld under the provisions of sub-section (10) or, as the case may be, sub-section (11) of section 54, he shall pass an order in part B of Form GST RFD-07 informing him the reasons for withholding of such refund.

Amendment in Rule 127

4. In rule 127 of the "Principal Rules", in clause (iv), only in English version, after the words "to furnish a performance report to the Council by the tenth", the word "day" shall be inserted.

Amendment in Rule 129

5. In rule 129 of the "Principal Rules", in sub-rule (6), for the words "as allowed by the Standing Committee", the words "as may be allowed by the Authority" shall be substituted.

Amendment in Rule 133

6. In rule 133 of the "Principal Rules", after sub-rule (3) the following sub-rule shall be inserted; namely--

(4) In the report of the Director General of Safeguards referred to in sub-rule (6) of rule 129 recommends that there is contravention or even non-contravention of the provisions of section 171 or these rules, but the Authority is of the opinion that further investigation or inquiry is called for in the matter, it may, for reasons to be recorded in writing, refer the matter to the Director General of Safeguards to cause further investigation or inquiry in accordance with the provisions of the Act and these rules.

Amendment in Rule 134

7. In rule 134 of the "Principal Rules", for the rule set out in column—1, the rule set out in column—2 shall be substituted; namely--

Column-1 *Exiting Rule*	**Column-2** *Hereby Substituted Rule*
134. **Decision to be taken by the majority**—If the Members of the Authority differ in opinion on any point, the point shall be decided according to the opinion of the majority.	134. **Decision to be taken by the majority**— A minimum of three members of the Authority shall constitute quorum at its meetings. (2) If the Members of the Authority differ in their opinion on any point, the point shall be decided according to the opinion of the majority of the members present and voting, and in the event of equality of votes, the Chairman shall have the second or casting vote.",

Amendment in Rule 137

8. In rule 137 of the "Principal Rules", after rule 137, in the Explanation, in clause (c), after sub-clause b, the following sub-clause shall be inserted, namely :--

c. any other person alleging, under sub-rule (1) of rule 128, that a registered person has not passed on the benefit of reduction in the rate of tax on any supply of goods or services or the benefit of input tax credit to the recipient by way of commensurate reduction in prices.";

Amendment in Rule 138D

9. In rule 138D of the "Principal Rules", with effect from the 1st day of April, 2018, after the rule, the following Explanation shall be inserted, namely :--

Explanation—For the purposes of this Chapter, the expressions 'transported by railways', 'transportation of goods by railways', 'transport of goods by rail' and 'movement of goods by rail' does not include cases where leasing of parcel by Railways takes place.

अधिसूचना

28 मार्च, 2018 ई0

संख्या 289/2018/4(120)/XXVII(8)/2018/CT–15–चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 164 एवं उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन), नियम, 2018 की क्रम संख्या 1(2) पर उल्लिखित व्यवस्था के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 01 अप्रैल, 2018 को उस तारीख के रूप में नियत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिससे उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 की अधिसूचना संख्या 282/2018/4(120)/XXVII(8)/2018/CT–12, दिनांक 24 मार्च, 2018 के क्रम संख्या 3[नियम 138 के उपनियम (7) के सिवाय] क्रम संख्या 4, क्रम संख्या 5, क्रम संख्या 6, क्रम संख्या 7 एवं क्रम संख्या 8 पर उल्लिखित उपबन्ध प्रवृत्त होंगे।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 289/2018/4(120)/XXVII(8)/2018/CT-15**, Dated March 28, 2018 for general information.

NOTIFICATION

March 28, 2018

No. 289/2018/4(120)/XXVII(8)/2018/CT-15--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) and under the provision mentioned at serial no. 1(2) of the Uttarakhand Goods and Services Tax (second amendment) Rules, 2018, the Governor is pleased to allow to appoint the 1st day of April, 2018, as the date from which the provisions mentioned at serial no. 3 [other than sub-rule (7) of Rule 138], serial no. 4, serial no. 5, serial no. 6, serial no. 7 and serial no. 8 of Notification No. 282/2018/4(120)/XXVII(8)/2018/CT-12, dated March 24, 2018 of the Government of Uttarakhand Finance Section-8, shall come into force.

By Order,
RADHA RATURI,
Principal Secretary.

विपिन चन्द्र,
एडिशनल कमिश्नर, राज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून।

कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, गढ़वाल सम्भाग, पौड़ी

कार्यालयादेश

21 फरवरी, 2018 ई0

पत्रांक 246/कर–पंजी/पंजीयन निरस्त/2017–18–वाहन सं0 UA12A-2765(GV) के वाहन स्वामी श्री जसपाल सिंह नेगी, धारा रोड, पौड़ी, पौड़ी गढ़वाल, ने दिनांक 19.05.2017 को इस आशय का प्रार्थना–पत्र अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया है कि उनकी वाहन संचालन योग्य नहीं है। अतः वाहन का पंजीयन निरस्त कर दिया जाय। वाहन स्वामी के अनुरोध पर वाहन का चेसिस छाप वाला हिस्सा नष्ट कर कार्यालय में जमा करा लिया गया है। वाहन UA12A-2765(GV) का चेसिस सं0 386555JSZ828219 तथा मॉडल 2007 है।

अतः, मैं, द्वारिका प्रसाद, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–55 में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन UA12A-2765(GV) का चेसिस सं0 386555JSZ828219 का पंजीयन/चेसिस तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालयादेश

20 फरवरी, 2018 ई0

पत्रांक 247/कर–पंजी/पंजीयन निरस्त/2017–18–वाहन सं0 UK12CA-0047(GV) के वाहन स्वामी श्री अनिल डोभाल पुत्र श्री शिवप्रसाद डोभाल, धारा रोड, पौड़ी, पौड़ी गढ़वाल, ने दिनांक 27.05.2017 को इस आशय का प्रार्थना–पत्र अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया है कि उनकी वाहन संचालन योग्य नहीं है। अतः वाहन का पंजीयन निरस्त कर दिया जाय। वाहन स्वामी के अनुरोध पर वाहन का चेसिस छाप वाला हिस्सा नष्ट कर कार्यालय में जमा करा लिया गया है। वाहन UK12CA-0047(GV) का चेसिस सं0 386555CRZ807006 तथा मॉडल 2008 है।

अतः, मैं, द्वारिका प्रसाद, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–55 में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन UK12CA-0047(GV) का चेसिस सं0 386555CRZ807006 का पंजीयन/चेसिस तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालयादेश

22 फरवरी, 2018 ई0

पत्रांक 248/कर–पंजी/पंजीयन निरस्त/2017–18–वाहन सं0 यू0के0 12सी0ए0–0299 (डिलीवरी वैन) के वाहन स्वामी श्री भगत सिंह रावत पुत्र स्व0 एच0 एस0 रावत, डागर किराना स्टोर, काला रोड, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल, ने दिनांक 02.01.2018 को इस आशय का प्रार्थना–पत्र अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया है कि उनकी वाहन संचालन योग्य नहीं है। अतः वाहन का पंजीयन निरस्त कर दिया जाय। वाहन स्वामी के अनुरोध पर वाहन का चेसिस छाप वाला हिस्सा नष्ट कर कार्यालय में जमा करा लिया गया है। वाहन UK12CA-0299 (D/V) का चेसिस सं0 MAT445222BZH74810 तथा मॉडल 2011 है।

अतः, मैं, द्वारिका प्रसाद, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–55 में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, UK12CA-0299 (D/V) का चेसिस सं0 MAT445222BZH74810 का पंजीयन/चेसिस तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

द्वारिका प्रसाद,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
गढ़वाल सम्भाग, पौड़ी।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन, ऊधमसिंह नगर

कार्यालय आदेश

14 मार्च, 2018 ई0

पत्रांक 470/टी0आर0/पंजी0नि0/UK06AL-4291/2018–वाहन सं0 UK06AL-4291 (MOTOR CYCLE), मॉडल 2016, चेसिस संख्या MBLHA11AZG9H11729 तथा इंजन नं0 HA11EKG9H11427, कार्यालय में श्री अमर सिंह पुत्र श्री चूड़ा मणि, निवासी सैजना, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 15.01.2018 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन जलने के कारण पूर्ण रूप से नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर एकबारीय जमा है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UK06AL-4291 (MOTOR CYCLE) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MBLHA11AZG9H11729 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

16 मार्च, 2018 ई0

पत्रांक 530/टी0आर0/पंजी0नि0/यूके06एई–5022/2018–वाहन संख्या यूके06एई–5022, मॉडल 2014, चेसिस संख्या MA3EUA61S00559016, इंजन नं0 F8DN5342812, इस कार्यालय में श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री मोहन सिंह हाल निवासी श्रीमती हजिन्दर कौर, गली नं0–1, शान्ति विहार, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है। वाहन स्वामी ने दिनांक 12.03.2018 को आवेदन–पत्र के साथ अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण,पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर व अतिरिक्त कर 28.12.2029 तक वैध है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या यूके06एई–5022 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MA3EUA61S00559016 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

17 मार्च, 2018 ई0

पत्रांक 537/टी0आर0/पंजी0नि0/HR38J-3521/2018–वाहन संख्या HR38J-3521 (TRUCK), मॉडल 2003, चेसिस संख्या BVA038489, इंजन नं0 BVH237456, कार्यालय में श्री रईश अहमद पुत्र श्री नियाज मौहम्मद, निवासी ग्राम मसीत केलाखेड़ा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 17.03.2018 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, अवगत कराया है कि उनका वाहन पूरी तरह खराब होने के कारण मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.03.2018 तक जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या HR38J-3521 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या BVA038489 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

07 अप्रैल, 2018 ई0

पत्रांक 611/टी0आर0/पंजी0नि0/UK06U-5845/2018–वाहन संख्या UK06U-5845 (MOTOR CAR), मॉडल 2011, चेसिस संख्या MAJBXXMRTBBM13712, इंजन नं0 BM13712, कार्यालय में श्री सोमनाथ पुत्र श्री कुन्दन लाल, निवासी म0 नं0 3, नई सुनहरी, वार्ड नं0 5, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 31.01.2018 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, अवगत कराया है कि उनका वाहन दुर्घटना के कारण पूरी तरह खराब हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर एकबारीय जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UK06U-5845 (MOTOR CAR) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MAJBXXMRTBBM13712 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

नन्द किशोर,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग

आदेश

24 फरवरी, 2018 ई0

संख्या 1110/प्रवर्तन/लाइसेंस/2018–मा0 सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति के सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी0ओ0आर0एस0 पार्ट–3, दिनांक 18.08.2015, सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी0ओ0आर0एस0–पार्ट–3, दिनांक 17.11.2015 के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के विदित अभियोग में वाहनों के चालान कर वाहन चालकों के लाइसेन्स के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है।

अतः दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसिंग अधिकारी, रूद्रप्रयाग के रूप में, मैं, पंकज श्रीवास्तव, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, निम्न चालकों के लाइसेन्स तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँः–

क्र0 सं0	चालक का नाम व पता	डी0एल0 संख्या व वैधता	अभियोग	चालानकर्ता प्रवर्तन अधिकारी	निलम्बन अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	श्री देव प्रकाश पुत्र श्री रूप राम, पता–ग्राम धनयौं, पो0 बुढना, जनपद रूद्रप्रयाग	UK-1320100000725, VALIDITY (NT) 30.12.2030, VALIDITY (TR) 04.05.2018	ओवरलोडिंग	SP, RUDRAPRAYAG	24.02.2018 से 23.05.2018
2.	श्री विजय पाल लाल, पुत्र श्री सोहन लाल, पता–ग्राम नाला, पो0 अगस्तमुनि, जनपद रूद्रप्रयाग	UK-1320090002137, VALIDITY (NT) 27.05.2029, VALIDITY (TR) 27.05.2018	नशे की हालत में वाहन का संचालन	SP, RUDRAPRAYAG	24.02.2018 से 23.05.2018

1	2	3	4	5	6
3.	मो0 अकरम पुत्र श्री साईदुल्ला, पता–मोह अनसोरीवन सोहनपुर, तहसील नजीबाबाद	61522/NT/MBD/2008, VALIDITY (NT) 24.04.2028, VALIDITY (TR) 19.02.2018	भार वाहन में ओवरलोड सवारी	ARTO, RUDRAPRAYAG	24.02.2018 से 23.05.2018
4.	श्री रमेश ए रूढ़िया पुत्र श्री अमरसिंग, पता–परमान फली ताल विरमगामा, अहमदाबाद	GJ01 20070026758, VALIDITY (NT) 29.08.2032, VALIDITY (TR) 17.02.2019	भार वाहन में ओवरलोडिंग	ARTO, RUDRAPRAYAG	24.02.2018 से 23.05.2018
5.	श्री देवेन्द्र लाल पुत्र श्री छोटिया लाल, पता–ग्राम बष्टी, तहसील–ऊखीमठ, जनपद रूद्रप्रयाग	UK-1320090002137, VALIDITY (NT) 31.05.2029	वाहन संचालन के दौरान मोबाइल फोन का प्रयोग	ARTO, RUDRAPRAYAG	24.02.2018 से 23.05.2018
6.	श्री सुदर्शन सिंह पुत्र श्री भीम सिंह, पता–ढालवाला, टिहरी गढ़वाल	UK-1420030040686, VALIDITY (NT) 16.04.2023, VALIDITY (TR) 25.04.2018	भार वाहन में ओवरलोडिंग	ARTO, RUDRAPRAYAG	24.02.2018 से 23.05.2018

पंकज श्रीवास्तव,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

आदेश

26 मार्च, 2018 ई0

संख्या 1221/प्रवर्तन/लाइसेंस/2018–मा0 सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति के सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी0ओ0आर0एस0 पार्ट–3, दिनांक 18.08.2015, सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी0ओ0आर0एस0–पार्ट–3, दिनांक 17.11.2015 के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के विदित अभियोग में वाहनों के चालान कर वाहन चालकों के लाइसेन्स के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है।

अतः दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसिंग अधिकारी, रूद्रप्रयाग के रूप में, मैं, मोहित कुमार कोठारी, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, निम्न चालकों के लाइसेन्स तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँः–

क्र0 सं0	चालक का नाम व पता	डी0एल0 संख्या व वैधता	अभियोग	चालानकर्ता प्रवर्तन अधिकारी	निलम्बन अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	श्री मनोहर प्रसाद पुत्र श्री शिव प्रसाद, पता–ग्राम व पो0 मक्कू, जनपद रूद्रप्रयाग	UK-1320120003021, VALIDITY (NT) 30.09.2032	नशे की हालत में वाहन का संचालन	SP, Pauri	26.03.2018 से 25.06.2018
2.	श्री विपिन कुमार पुत्र श्री चंद्रमोहन, पता–ग्राम खोखंड़ी, पो0 अगर, जनपद रूद्रप्रयाग	UK-1320110000373, VALIDITY (NT) 30-03-2031	नशे की हालत में वाहन का संचालन	SP, Pauri	26.03.2018 से 25.06.2018

1	2	3	4	5	6
3.	श्री रविकांत बगवाड़ी पुत्र श्री किशन बगवाड़ी, पता–ग्राम व पो0 गुप्तकाशी, जनपद रूद्रप्रयाग	UK-1320120002494, VALIDITY (NT) 24.06.2032	नशे की हालत में वाहन का संचालन	SP, RUDRAPRAYAG	26.03.2018 से 25.06.2018
4.	श्री प्रकाश चंद्रा पुत्र श्री मगनानंद, पता–सेरा थाना, जनपद रूद्रप्रयाग	UK-1320110000588, VALIDITY (NT) 19.03.2027, VALIDITY (TR) 07.05.2017	नशे की हालत में वाहन का संचालन	SP, PAURI GARHWAL	26.03.2018 से 25.06.2018
5.	श्री मोहन सिंह पुत्र श्री केशर सिंह विष्ट, पता–ग्राम संकरी, पो0 गुप्तकाशी, जनपद रूद्रप्रयाग	UK-1320100000317, VALIDITY (NT) 28.09.2030	नशे की हालत में वाहन का संचालन	SP, RUDRAPRAYAG	26.03.2018 से 25.06.2018
6.	श्री राहुल सिंह पुत्र श्री कुवर सिंह, पता–ग्राम बुरूआ, पो0 मानसूना, जनपद रूद्रप्रयाग	UK-1320140005538, VALIDITY (NT) 10.04.2034, VALIDITY (TR) 22.02.2020	ओवरलोड सवारी	ARTO, PAURI	26.03.2018 से 25.06.2018
7.	श्री भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह, पता–ग्राम गढ़ी, पो0 विद्यापीठ, जनपद रूद्रप्रयाग	UK-1320140006614, VALIDITY (NT) 19.11.2034	नशे की हालत में वाहन का संचालन	SP, RUDRAPRAYAG	26.03.2018 से 25.06.2018
8.	श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह, पता–ग्राम व पो0 जाल मल्ला, ऊखीमठ, जनपद रूद्रप्रयाग	UK-1320140005538, VALIDITY (NT) 23.03.2029, VALIDITY (TR) 24.03.2012	नशे की हालत में वाहन का संचालन	SP, RUDRAPRAYAG	26.03.2018 से 25.06.2018
9.	श्री सहिल पटवाल पुत्र श्री दिनेश पटवाल, पता–ग्राम बाड़ा, तहसील रूद्रप्रयाग	UK-1320170011353, VALIDITY (NT) 22.02.2037	तेज रफ्तार व खतरनाक संचालन	SP, PAURI GARHWAL	26.03.2018 से 25.06.2018
10.	श्री जसपाल लाल पुत्र श्री संदर लाल, पता–ग्राम सैणजी पुफली, जनपद पौड़ी गढ़वाल	VALIDITY (NT) 19.07.2027, VALIDITY (TR) 03.06.2018	भार वाहन में ओवरलोडिंग	SP, RUDRAPRAYAG	26.03.2018 से 25.06.2018
11.	श्री सोनु कुमार पुत्र श्री कनक सिंह, पता–ग्राम इब्रहिमपुर, जनपद रूद्रप्रयाग	VALIDITY (NT) 10.01.2031, VALIDITY (TR) 01.05.2015	संकेत देने पर वाहन रोका नहीं गया, खतरनाक संचालन	SP, RUDRAPRAYAG	26.03.2018 से 25.06.2018

1	2	3	4	5	6
12.	श्री धनवीर पुत्र श्री राय सिंह C/o श्री दीपक सिंह, 95, नहरू नगर, ऋषिकेश	VALIDITY (NT) 29.06.2036, VALIDITY (TR) 07.12.2020	भारी वाहन में ओवरलोडिंग	ARTO, RUDRAPRAYAG	26.03.2018 से 25.06.2018
13.	श्री गोपाल सिंह खतरी पुत्र श्री कल्याण सिंह खतरी, पता–ग्राम रठिया मिंग गढेरा, थराली, चमोली	VALIDITY (NT) 04.02.2022, VALIDITY (TR) 02.10.2020	भारी वाहन में ओवरलोडिंग	ARTO, RUDRAPRAYAG	26.03.2018 से 25.06.2018

टिप्पणी–1. क्र0 सं0 10 व 13 में अंकित चालकों के लाइसेन्स पूर्व में प्राप्त न होने के कारण वर्तमान में इनके लाइसेन्स के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की जाती है।

2. क्र0 सं0 01 व 02 में अंकित चालकों के लाइसेन्स फरवरी माह के अन्त में प्राप्त होने के कारण इस माह में संस्तुति की जाती है।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 18 हिन्दी गजट/249–भाग 1–क–2018 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 05 मई, 2018 ई0 (बैशाख 15, 1940 शक सम्वत्)

भाग 7

इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

आदेश

दिनांक : 09 अप्रैल, 2018 ई0

संख्या 76/भा0नि0आ0/क्षे0/उत्तरा0–लो0स0/2018(1)–यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (२) में यथा विनिर्दिष्ट उत्तराखण्ड से हुए विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2017 के लिये जो स्तम्भ (३) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (४) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (५) में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे है;

और यतः, उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (५) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए एतद्द्वारा निरर्हित घोषित करता है:–

सारणी

क्र0 सं0	निर्वाचन का विवरण	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रम सं0 एवम् नाम	निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी का नाम और पता	निर्हता का कारण
1	2	3	4	5
1.	उत्तराखण्ड राज्य के लिए विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2017	04–बद्रीनाथ	श्री लक्ष्मीप्रसाद सती, ग्राम–देवस्थान, पो0–पोखरी, तह0–पोखरी, जिला चमोली	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे

1	2	3	4	5
2.	उत्तराखण्ड राज्य के लिए विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2017	16–विकासनगर	श्री भास्कर चुग, निकट–देहरादून बस स्टैण्ड, विकासनगर, जिला–देहरादून	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे
3.	–वही–	–वही–	श्री अशोक सिंह, ग्राम–मलुकावाला, पोस्ट–विकासनगर, जिला–देहरादून	–वही–
4.	–वही–	–वही–	श्री दिनेश कुमार शर्मा, पुरबिया लाइन, वार्ड नं0–8, अस्पताल रोड, विकासनगर, जिला–देहरादून–248198	–वही–
5.	–वही–	17–सहसपुर	श्रीमती मन्जु सिंह, 172/1, बहादुरपुर, राजावाला रोड, सेलाकुई, जिला–देहरादून	–वही–
6.	–वही–	28–भगवानपुर	श्री प्रेमपति, ग्राम–सोली, डाक–नौगाँव, तहसील–बड़कोट, जिला–उत्तरकाशी	–वही–
7.	–वही–	32–खानपुर	श्री सुनील, ग्राम–गिद्वावाली, पो0–रायसी, जिला–हरिद्वार	–वही–
8.	–वही–	48–कपकोट	श्री करम सिंह दानु, ग्राम–चीराबगढ़, तोक–फुलवाड़ी, पो0ऑ0–फुलवाड़ी, तहसील–कपकोट, जनपद–बागेश्वर	–वही–
9.	–वही–	49–सल्ट	श्री महिपाल सिंह, ग्राम–कोठलगाँव, पो0ऑ0–तोल्यों, तहसील–सल्ट, जिला–अल्मोड़ा	–वही–
10.	–वही–	51–सोमेश्वर (अ0जा0)	श्री प्रदीप कुमार आर्य, ग्राम–मल्ली रियुनि, पो0–मजखाली, तहसील–रानीखेत, जिला–अल्मोड़ा	–वही–
11.	–वही–	52–अल्मोड़ा	श्री कुन्दन सिंह बिष्ट, ग्राम–बगुना, पो0–रतगल, जिला–अल्मोड़ा	–वही–
12.	–वही–	–वही–	श्री जसवन्त सिंह, ग्राम–ढौरा (चौखुड़िया), पो0–ढौरा, जिला–अल्मोड़ा	–वही–

1	2	3	4	5
13.	उत्तराखण्ड राज्य के लिए विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2017	62—जसपुर	मो0 अजमल सिद्दकी, मोहल्ला—छीपीयान, जसपुर, वार्ड नं0—11, जिला—ऊधमसिंह नगर	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे
14.	—वही—	70—खटीमा	श्री विनोद भट्ट, ग्राम—भूड़ महौलिया, तहसील—खटीमा, जिला—ऊधमसिंह नगर	—वही—

आदेश से,

राहुल शर्मा,

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

ORDER

9th April, 2018

No. 76/ECI/Terr/NOR-II/UKD-LA/2018 (1)--WHEREAS, the Election Commission of India satisfied that the contesting candidates specified in column (4) of the table below at the General Election to the Legislative Assembly, 2017 held from Corresponding constituency Uttarakhand, as specified in column (2) and held from constituency specified in column (3) against their names, have failed to lodge account of their election expenses, as shown in column (5) of the table, as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made there under; and

WHEREAS, the said candidates have not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that they have no good reason or justification for the said failure.

NOW, THEREFORE, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission, hereby, declares the person specified in column (4) of the table enclosed, to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order.

TABLE

Sl. No.	Particulars of Election	No. and Name of Parliamentary Constituency	Name and Address of Contesting Candidate	Reason for Disqualification
1	2	3	4	5
1.	State Assembly Election Uttarakhand, 2017	04-Badrinath	Shri Laxmi Prasad Sati, Village-Desthan, P.O.—Pokhri, Tehsil—Pokhri, Distt.—Chamoli	Failure to lodge the account of election expenses in the manner required by law

1	2	3	4	5
2.	State Assembly Election Uttarakhand, 2017	16—Vikas Nagar	Shri Bhaskar Chug, Near—Dehradun Bus Stand, Vikas Nagar, Dehradun	Failure to lodge the account of election expenses in the manner required by law
3.	-- Do --	-- Do --	Shri Ashok Singh, Village—Malukawala, P.O.—Vikas Nagar, Dehradun	-- Do --
4.	-- Do --	-- Do --	Shri Dinesh Kumar Sharma, Ward No. 8, Purviya Line, Hospital Road, Vikas Nagar, Dehradun—248198	-- Do --
5.	-- Do --	17—Sahaspur	Smt. Manju Singh, 172/1, Bhadurpur, Rajawala Road, Dehradun	-- Do --
6.	-- Do --	28—Bhagwanpur	Prempati, Village—Sauli, Post—Naugaon, Tehsil—Badkot	-- Do --
7.	-- Do --	32—Khanpur	Shri Sunil, Village—Giddhawaali, P.O.—Rayasi, Distt. Haridwar	-- Do --
8.	-- Do --	46—Kapkot	Shri Karam Singh Danu, Village—Chirabghar, Tok—Fulwari, P.O.—Fulwari, Tehsil—Kapkot, Distt.--Bageswar	-- Do --
9.	-- Do --	49—Sult	Shri Mahipal Singh, Village—Kothalgaon, P.O.—Tolyo, Distt.--Almora	-- Do --
10.	-- Do --	51—Someshwar (S.C.)	Shri Pradeep Kumar Arya, Village—Malli Riyani, P.O.—Majhkhali, Tehsil—Ranikhet, Distt.—Almora	-- Do --
11.	-- Do --	52—Almora	Shri Kundan Singh Bisht, Village—Baguna, P.O.—Ratagal, Distt.—Almora	-- Do --
12.	-- Do --	-- Do --	Shri Jaswant Singh, Village—Dhaura (Choukhudiya), P.O.—Dhaura, Distt.—Almora	-- Do --

1	2	3	4	5
13.	State Assembly Election Uttarakhand, 2017	62—Jaspur	Md. Ajmal Siddiqi, Mohalla—Chhipiyaan, Jaspur, Ward No. 11, Distt.—Udham Singh Nagar	Failure to lodge the account of election expenses in the manner required by law
14.	-- Do --	70—Khatima	Shri Vinod Bhatt, Village—Bhud (maholiya), Tehsil—Khatima, Distt.—Udham Singh Nagar	-- Do --

By Order,

RAHUL SHARMA,

Secretary,

Election Commission of India.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 18 हिन्दी गजट/249—भाग 7—2018 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 05 मई, 2018 ई0 (बैशाख 15, 1940 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगर पंचायत, लण्ढौरा, जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

सार्वजनिक सूचना

06 सितम्बर, 2017 ई0

पत्रांक 321/सॉलिड वेस्ट/2017–18–नगर पंचायत, लण्ढौरा, जिला हरिद्वार सीमान्तर्गत अधिनियम, 1916 की धारा 298, उपधारा 2, खण्ड (झ) (घ) में अधिकारों का प्रयोग करते हुए, नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2000 के क्रियान्वयन हेतु नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध की उपविधि तैयार की गई है, जो निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/अपशिष्ट के प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क (user charges) की प्रस्तावित राशि ₹ में
1	2	3
1.	कम आय वाले घर (बी0पी0एल0 कार्डधारक के अतिरिक्त ₹ 5,000.00 प्रतिमाह आय वाले घर)	₹ 10.00
2.	मध्यम आय वाले पर (₹ 5,000.00 से अधिक ₹ 10,000.00 तक प्रतिमाह आय वाले घर)	₹ 20.00
3.	उपरोक्त के अतिरिक्त घर	₹ 30.00
4.	सब्जी एवं फल विक्रेता	ठेली पर फेरी में ₹ 2.00 प्रतिदिन दुकान/फड़ पर ₹ 50.00 प्रतिमाह
5.	रेस्टोरेन्ट	छोटे ₹ 200, मध्यम ₹ 300.00 तथा बड़े ₹ 1,000.00 प्रतिमाह
6.	होटल/लॉजिंग/गेस्ट हाउस	20 बेड तक ₹ 100, 21 बेड से 40 बेड तक ₹ 200 एवं 41 से अधिक बेड तक ₹ 300 प्रतिमाह
7.	अंग्रेजी/देशी शराब की दुकान	₹ 20 प्रतिदिन
8.	3/5 स्टार होटल	₹ 500 प्रतिमाह

1	2	3
9.	बारातघर (चेरिटेबल) (नान–चेरिटेबल)	₹ 200.00 प्रतिमाह ₹ 500.00 प्रतिमाह
10.	बैकरी	100.00 प्रतिमाह
11.	कार्यालय	50 कर्मचारियों तक ₹ 100.00, 51 कर्मचारियों से 100 तक ₹ 200.00, 101 से ₹ 300.00 एवं उससे अधिक पर ₹ 500.00 प्रतिमाह
12.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएँ (आवासीय)	100 बेड तक ₹ 1,000.00 प्रतिमाह, उससे अधिक ₹ 10.00 प्रति बेड अतिरिक्त
13.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएँ (अनावासीय)	500 विद्यार्थियों तक ₹ 500.00, उससे अधिक ₹ 1,000.00
14.	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम (बॉयोमेडिकल वेस्ट को छोड़कर)	20 बेड तक ₹ 250.00, 21 बेड से 40 बेड तक ₹ 500.00, 41 बेड से 100 बेड तक ₹ 1,000.00, उससे अधिक ₹ 1,500.00 प्रतिमाह
15.	क्लीनिक/पैथोलॉजी	क्लीनिक ₹ 75.00, पैथोलॉजी ₹ 200.00 प्रतिमाह
16.	दुकान/चाय की दुकान	मौहल्ले की छोटी दुकान ₹ 20.00, बाजार की दुकान ₹ 50.00, शोरूम ₹ 50.00, शोरूम 100.00, छोटे माल ₹ 500.00, बहुमंजिलें माल ₹ 1,000.00 प्रतिमाह, अपने मकान के कमरे में खुली छोटी दुकान निःशुल्क
17.	फैक्ट्री	छोटी ₹ 300.00, बड़ी ₹ 500.00 प्रतिमाह
18.	वर्कशाप	छोटी ₹ 200.00, बड़ी ₹ 500.00 प्रतिमाह
19.	गन्ने का रस/जूस विक्रेता	₹ 5.00 प्रतिदिन
20.	सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस/प्रदर्शनी/विवाह आदि आयोजन, जिसमें अपशिष्ट उत्पन्न हो	₹ 300.00, होटलों में विवाह ₹ 100.00 प्रति उत्सव
21.	ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट	0.50 घन मी0 तक ₹ 100.00, 1.0 घन मी0 तक ₹ 200.00, 3.0 घन मी0 तक ₹ 500.00, 6.0 घन मी0 तक ₹ 1,000.00, इससे अधिक प्रति घन मी0 ₹ 100.00 अतिरिक्त
22.	कबाड़ी	छोटे ₹ 100.00, बड़े ₹ 200.00 प्रतिमाह

शास्ति

उपरोक्त उपविधि का उल्लंघन नगर पंचायत अधिनियम, 1916 की धारा 299(1) एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2011 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा, जो ₹ 5,000.00 तक हो सकेगा और जब ऐसा भंग निरन्तरण किया जाए तो अग्रेत्तर जुर्माना किया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो, ₹ 500.00 तक हो सकेगा। यह अधिकार अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, लण्ढौरा में अन्तिम रूप से निहित है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति सूचना प्रकाशन की तिथि के 10 दिन के भीतर कार्यालय नगर पंचायत, लण्ढौरा में दर्ज करा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत,
लन्ढौरा (हरिद्वार)।

ह0 (अस्पष्ट),
अध्यक्ष,
नगर पंचायत,
लन्ढौरा (जिला–हरिद्वार)।

सूचना

I HAVE changed my name Uma Shanker Uniyal to Shanker Uniyal due to religious reason for all future purpose.

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है।

Shanker Uniyal S/o Late Chintamani
Uniyal, R/o Adarsh Nagar, Jolly Grant,
Doiwala, Dehradun

सूचना

मेरे पुत्र नवदीप सिंह के शैक्षिक अभिलेखों में मेरा नाम त्रुटिवश बीपी सिंह दर्ज हो गया है। जबकि पूरा नाम बिनय प्रताप सिंह है। भविष्य में नवदीप सिंह पुत्र बिनय प्रताप सिंह नाम से जाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है।

बिनय प्रताप सिंह पुत्र बृजनाथ सिंह
निवासी नन्दा कालोनी, नगला इमरती,
पोस्ट मिलाप नगर, रूडकी, जिला हरिद्वार

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 18 हिन्दी गजट/249–भाग 8–2018 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।